


ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-६
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजरामन्द जिला राजरामन्द
 (पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प कुरुप

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुरुप
 व भू.अ.नि. कुरुप की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
 तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मावडी प्रयाग तहसील रेलमगरा व
 जिला राजरामन्द की जमाबन्दी संवत् २०१७ में खाता संख्या १८३ में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	<u>मावडी प्रयाग</u>	१८३	<u>जगदीश पुत्र जेरनलाल</u> जाति जाट	<u>जगदीश चन्द्र</u> <u>पुत्र जेरनलाल</u> जाति जाट


 पीठारीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलमगरा

क्रमांक-214
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- **4 OCT 2025**

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 पीठारीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलमगरा